संख्या- 63(3)/2018/63(3)/21-3-2018-15/2017

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ,दिनांक:17 अप्रैल, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 07 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान 20-सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय –व्ययक) अनुभाग- 1 के पत्र संख्या -1/2018-बी-1-375/दस -2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने के प्रयोजनार्थ आयोजनेत्तर मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम क़िस्त के रूप में रुपये 20.00 लाख(रुपये बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त लेखा अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के किसी अंश का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाय ।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी । उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उपरोक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक: 31 मार्च, 2019 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

5. उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-** 039 **लेखा शीर्षक** 2202-सामान्य शिक्षा –आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता -07-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान– मानक मद 20 – लेखा अनुदान - सामान्य (गैर -वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6 यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30-मार्च, 2018 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 63(4)/21-3-2018-15/2017**, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय , उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
9. भाषा (उर्दू)अनुभाग-4।
10. अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in